युद्ध की अवधारणा
(Concept of War)

युद्ध को परिभाषित करते हुए **क्विंसी राइट** ने अपनी पुस्तक "The Study of International Relations" में लिखा है कि, "युद्ध किसी समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र सेनाओं को संगठित और उपयोग करने की एक कला है और इस कला के अध्ययन में व्यावहारिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक आयामों का समावेश होता है।" अपनी पुस्तक में एक अन्य स्थान पर राइट ने लिखा है कि "बल द्वारा संघर्ष युद्ध है।" युद्ध को सामाजिक स्थिति के संदर्भ में विभिन्न समूहों के परस्पर सम्बन्धों में विवाद, तनाव और बड़े पैमाने पर हिंसा के रूप में चित्रित किया जाता है। विशेष रूप से "युद्ध विवाद की एक प्रजाति है।" उसके अनुसार, "जब कभी वैधानिक अनुशस्ति कानून की व्यवस्था की स्वीकृति को बनाये रखने में असफल हो जाती है तो ऐसी दशा का परिणाम युद्ध होता है।" वैधानिक दृष्टि से विचार किया जाय तो युद्ध को ऐसी दशा के रूप दर्शाना, जो भाग लेने वाले समूहों को सशस्त्र सेना के प्रयोग की अनुमति प्रदान करती हो, बहुत ही संकीर्ण अवधारणा है। युद्ध के लक्ष्य के बारे में लिखा है कि युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को स्थापित करने की प्रणाली है और इसका प्रयोग विप्लवियों और विरोधियों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तथा राष्ट्रीय सरकारों द्वारा औपनिवेशिक एवं घरेलू विद्रोहों के दमन के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आक्रमण के दमन और शान्ति की स्थापना के लिए किया जाता है।

युद्ध के अन्य उद्देश्य क्षेत्रीय, आर्थिक और सांस्कृतिक विस्तार, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एकता और सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय स्थायित्व और कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थापना आदि है। लारेन्स ने युद्ध की तुलना राज्यों या राज्यों के समूह के बीच (मध्य) जनशक्ति द्वारा मुकाबला करने की प्रक्रिया से की है। उसके अनुसार किसी भी युद्ध के लिए इरादा और स्पर्धा का अस्तित्व अति आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक की अनुपस्थिति को प्रतिकार या विरोध तो कहा जा सकता है परन्तु युद्ध नहीं।

जबकि **प्रो० वेस्टलेक** ने बल-प्रयोग द्वारा सरकारों के संघर्ष की स्थिति या दशा को युद्ध कहा है। यह एक वैधानिक स्थिति है जो कि समूहों को समानता के आधार पर हिंसा द्वारा शक्ति और सम्पत्ति की वृद्धि के लिए युद्ध की अनुमति प्रदान करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ **प्रो० ओपेनहाइम** ने वैधानिक दृष्टि से युद्ध की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त दिशा निर्देश सुझाये हैं। उनके अनुसार, "युद्ध दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य एक दूसरे को पराजित करने के उद्देश्य किया जाने वाला संघर्ष है, जिससे विजेता विजित पर शान्ति सम्बन्धी शर्तों को थोप सके।" उन्होंने पुनः आगे लिखा है कि युद्ध सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग से होने वाला हिंसात्मक संघर्ष है। जिसमें अन्य उपायों का प्रयोग प्रसंगवश हो सकता है। जिसके अन्तर्गत नाकाबन्दी, शत्रु के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध, शत्रु के प्रतिरोध की क्षमता को नष्ट करने के लिए उसकी आर्थिक शक्ति कमजोर बनाने के उद्देश्य से सामुद्रिक सम्पत्ति को अधिग्रहित करना, जो कि सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग या प्रयोग की धमकी के बिना नहीं प्राप्त की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

यदि **एम० सी० नायर** द्वारा ग्रोशिअस समाज भाग द्वितीय नामक पुस्तक में संकलित परिभाषाओं और विचारों पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि "युद्ध एक संघर्ष है" जैसे सशस्त्र सेना द्वारा हिंसात्मक संघर्ष और उनकी तुलना "सेना द्वारा संघर्ष करने की दशा के रूप में किया है।"

मार्गेन्थाऊ ने युद्ध को संगठित हिंसा के रूप में परिभाषित किया है और उनका मानना है कि यह राज्य की विदेशनीति का एक उपकरण है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के एक अन्य विशेषज्ञ **जे० जी० स्टार्क** ने अपनी पुस्तक "An Introduction to International Law" में लिखा है कि सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली धारणा के रूप में युद्ध दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य मुख्य रूप से उनकी सशस्त्र सेनाओं के मध्य होने वाला संघर्ष है, जिसमें प्रत्येक प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्पर्धी समूह का अन्तिम लक्ष्य दूसरे को पूरी तरह से पराजित करना और शान्ति स्थापित करने हेतु अपनी शर्तें थोपना होता है। उनके अनुसार युद्ध का लक्ष्य विरोधी राष्ट्र को पराजित करना और समझौते के लिए अपनी शर्तें थोपना होता है, जिन्हें मानने के अलावा विरोधी राष्ट्र के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता है।

आधुनिक युद्ध के संदर्भ में यह परिभाषा अपूर्ण जान पड़ती है, क्योंकि अब युद्ध केवल विरोधी पक्षों की सशस्त्र सेनाओं के मध्य संघर्ष ही नहीं रह गया, बल्कि इसमें संघर्षरत पक्षों की संपूर्ण जनसंख्या युद्ध से जुड़ी होती है और प्रभावित होती है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि युद्ध का अर्थ शान्ति की अनुपस्थिति है, तो यह उचित नहीं है क्योंकि शान्ति की उपस्थिति में भी तनाव, शत्रुता और विवाद का जन्म हो सकता है।

ठीक इसी प्रकार का विचार **प्रो० हाल** ने व्यक्त किया है कि "जब राज्यों के मतभेद उस बिन्दु तक पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों पक्ष बल प्रयोग करने की स्थिति में पहुच जाते हैं या उनमें से कोई हिंसा का प्रयोग करता है तो दूसरा उसे शान्ति के उल्लंघन के रूप में देखता है और युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। जिसमें सशस्त्र बलों का प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है तब तक जब तक कि दूसरा पक्ष उसकी थोपी हुई शर्तों को स्वीकार नहीं कर लेता।

युद्ध राज्य-राष्ट्र की व्यवस्था में उत्पन्न अराजकता की पृष्ठभूमि में छिपा होता है, जिसे केवल विद्यमान राज्य व्यवस्था को हटा कर ही पूरा किया जा सकता है।

केल्सन ने लिखा है कि युद्ध सिद्धान्त रूप में एक राज्य द्वारा सशस्त्र सेनाओं सहित, किसी कार्य को पूरा करने के लिए दूसरी इकाई पर दबाव डालने की क्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जो कि दूसरे राज्य के हितों में असीमित हस्तक्षेप है। किसी राज्य द्वारा बिना किसी प्रतिरोध के दूसरे राज्य के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से सैन्य बल प्रयोग को युद्ध नहीं कहा जा सकता है बल्कि युद्ध के प्रारम्भ होने का एक कारण कहा जा सकता है।

अतः युद्ध उसी दशा में हो सकता है जब कि विरोधी पक्ष भी शत्रुता पूर्ण कार्यों द्वारा प्रतिरोधात्मक भूमिका का पालन करें और युद्ध तब तक नहीं हो सकता जब तक दो या दो से अधिक राष्ट्र इसकी औपचारिक घोषणा न कर दें, चाहे उस घोषणा से पूर्व शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की गयी हो या न की गई हो, यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं होता है।

लुइसवर्थ का सुझाव है कि युद्ध एक संगठित संघर्ष है जो हिंसा को नियंत्रित करने के संस्थागत कानूनों के अनुसार चलता है। युद्ध राष्ट्रों के मध्य या राष्ट्र के अन्दर विभिन्न वर्गों के मध्य शस्त्र बल के द्वारा चलाया जाने वाला संघर्ष है, परन्तु उसका लक्ष्य सदैव विरोधी को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाध्य करना होता है। युद्ध, राष्ट्र के पास जो है उसके बचाव के लिए, मूल्यवान वस्तुओं के संरक्षण के लिए, संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, भय के निवारण के लिए, भूराजनीतिक इकाई, अर्थव्यवस्था, सरकार या व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ा जाता है।

Scanned by CamScanner

विवादों या मतभेदों के निवारण की अनेक विधियों में से युद्ध एक क्रूरता पूर्ण विधि है। **पामर एवं पार्किन्स** ने अपनी पुस्तक ''अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध'' में सशस्त्र [illegible] के संघर्ष प्रयोग को युद्ध कहा है।

राष्ट्रों, समुदायों और व्यक्तियों के बीच हिंसात्मक संघर्ष की अनगिनत विधियों में से एक विधि का नाम युद्ध है। अन्य सभी विधियाँ शान्ति की है। **जॉन लॉक के अनुसार**, ''मानव विवादों के निपटारे की केवल दो विधियाँ हैं, जिनमें एक है कानून द्वारा और दूसरी बल द्वारा। जहाँ कोई कानून नहीं होता है, वहीं सेना अन्तिम विकल्प है।

सुप्रसिद्ध दार्शनिक **सिसरो** लिखता है कि युद्ध संप्रभुता सम्पन्न राष्ट्रों या सरकारों के बीच सशस्त्र शत्रुता की एक दशा है। **ग्रोशिअस** ने सिसरो की परिभाषा की आलोचना की है कि हिंसात्मक संघर्ष को युद्ध नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह वास्तविक संघर्ष में न बदल जाय।

बर्नाड शॉ युद्ध को एक जैविक आवश्यकता बताया है, जो कि जनसंख्या वृद्धि के विरुद्ध एक प्रभावकारी नियंत्रण का काम करता है। इस प्रकार युद्ध कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं है बल्कि यह मनुष्यों द्वारा निश्चित लक्ष्यों के लिए लड़ा जाता है और इसका प्रयोग एक उपकरण और एक पाश्विक विधि के रूप में किया जाता है, जो कि मानवता को स्वामी और दास, सामन्त और कृषिदास, साम्राज्यवादी और उपनिवेश, पूंजीवादी और मजदूर एवं शोषित में विभक्त करता है।

यदि हम 'युद्ध' शब्द के अर्थ पर दृष्टिपात करें तो "New English Dictionary" में युद्ध को राष्ट्रों, राज्यों या शासकों या एक ही राज्य या राष्ट्र के दलों के मध्य तथा राज्य के अन्दर विरोधी पार्टी के विरुद्ध या बाह्य शक्ति (विदेशी शक्ति) के विरुद्ध सैन्य बल के प्रयोग की सहायता से चलाया जाने वाले शत्रुतापूर्ण विवाद के रूप में परिभाषित किया गया है।

Encyclopaedia Britannica में दो मानव समुदायों के बीच एक दूसरे पर अपनी इच्छा थोपने के लिए संगठित सैन्य बल के प्रयोग को युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है। जबकि "Encyclopaedia of Social Sciences" के अनुसार सामान्य जनसमुदाय के दो समूहों के बीच सशस्त्र संघर्ष को युद्ध कहा जाता है।

सुविख्यात दार्शनिक रूसों ने युद्ध को मानव का नैतिक कलंक बताया है। क्योंकि युद्ध इस बात का संकेत है कि सभ्य समाज अपने नैतिक विकास को पूरा करने में असफल हो गया। इस प्रकार रूसो ने युद्ध को मानव आवश्यकता के रूप में नहीं स्वीकार किया है, जिसमें विजय के लिए दूसरे को मारा जाय। अतः वह युद्ध को दो राज्यों जैसी अमूर्त इकाइयों के बीच होने वाले संघर्ष के रूप में स्वीकार करता है, न कि दो व्यक्तियों के बीच।

मार्क्सवाद और लेनिनवाद युद्ध को मानव सभ्यता के विकास में एक निश्चित अवस्था पर घटित होने वाले सामाजिक ऐतिहासिक दृश्य के रूप में वर्णित करता है। मार्क्सवादी और लेनिनवादी सिद्धान्तों के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि विभिन्न राष्ट्रों या राष्ट्र समूहों द्वारा निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और विभिन्न जातीय समुदायों के मध्य संगठित सशस्त्र संघर्ष या सशस्त्र दबाव को 'युद्ध' कहते हैं। जैसा **ई० एम० अर्ल** ने लिखा है कि लेनिन इस तथ्य से अवगत था कि युद्ध कला का केवल सैन्य आयाम ही नहीं, बल्कि उसका चरित्र कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक भी होता है और युद्ध एवं क्रान्ति के मध्य निरन्तर और सैद्धान्तिक सम्बन्ध है। मार्क्स और लेनिन दोनों ने ही सामाजिक-आर्थिक संरचना में परिवर्तन के रूप में युद्ध की केवल सैद्धान्तिक व्याख्या नहीं की है, बल्कि युद्ध को क्रान्ति की तैयारी के लिए एक कदम के रूप में देखा है। जबकि **क्लाजविट्ज** ने युद्ध को राजनीति के क्रियान्वयन का एक अन्य साधन बताया है। **मार्क्स** और **लेनिन** के अनुसार युद्ध का निर्णय राजनीति द्वारा होता है और युद्ध, युद्ध से पूर्व की राजनीतिक विकास की दशा को नही बदलता है, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों की प्रक्रिया को तेज कर देता है।

Scanned by CamScanner

सैन्य विचारकों और सैनिकों की दृष्टि में युद्ध किसी सेनानायक द्वारा विरोधी सेना को नष्ट करने की एक कला है। **फील्ड मार्शल मान्टगोमरी** ने अपनी पुस्तक "History of Warfare" में लिखा है कि युद्ध प्रतिस्पर्धी राजनीतिक समूहों के बीच शस्त्रों के बल द्वारा लड़ा जाने वाला विलम्बित संघर्ष है। मान्टगोमरी सशस्त्र विद्रोह और गृह युद्ध को इसमें शामिल करता है, परन्तु व्यक्तिगत हिंसा और दंगों को इसमें शामिल नहीं करता है।

मैक्यावेली ने युद्ध को न्याय करने का साधन बताया है, जिसके लिए प्रत्येक सैनिक को शस्त्रों के प्रयोग और निश्चित विरचना में कार्य करने की शिक्षा देना अति आवश्यक है। उसके अनुसार राजनीतिक जीवन विकासवादी और विस्तारवादी शक्तियों के बीच अस्तित्व रक्षा के लिए संघर्ष है। इस प्रकार युद्ध का अन्त निर्णय में होता है और लड़ाई शीघ्र निर्णय पर पहुंचने का एक साधन है।

जे० एफ० सी० फुलर ने युद्ध की तुलना दवा के प्रयोग की कला से की है। जिस प्रकार दवा का प्रयोग मानव शरीर की बीमारियों की रोकथाम, उपचार और दूर करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार राजनीतिज्ञों और सैनिकों का प्रयोग युद्धों की रोक-थाम, उपचार और दूर करने के लिए किया जाता है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय ढांचे को क्षति पहुंचाते हैं। **वॉन मोल्टके** ने लिखा है, "युद्ध राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने या बनाये रखने की प्रक्रिया में बल पूर्वक किया गया कार्य है। ठीक इसी प्रकार का विचार व्यक्त करते हुए **सुनत्जू** ने लिखा है कि "युद्ध राज्य का एक महान कार्य है, यह जीवन या मृत्यु का क्षेत्र है। यह सुरक्षा या विनाश का मार्ग है तथा यह जानबूझ कर कठिन परिश्रम से किया गया कार्य है।

फ्रांसीसी क्रान्ति तक के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाय तो युद्ध शासकों के बीच होने वाला संघर्ष था, परन्तु उसके बाद धीरे-धीरे युद्ध जनता के बीच होने वाले संघर्ष में बदल गया। फ्रांसीसी क्रान्ति के युद्ध विशेष रूप से नेपोलियन के युद्ध अति विनाशक एवं संहारक रूप में सामने आते हैं। इन युद्धों के व्याख्याताओं ने "युद्ध को एक हिंसात्मक कार्य बताया है और जिसका उद्देश्य अपने विरोधी को अपनी इच्छापूर्ति के लिए बाध्य करना होता है" के रूप में परिभाषित किया है। इस व्याख्याताओं में क्लाजविट्ज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। क्लाजविटज ने युद्ध की तुलना बड़े पैमाने पर होने वाले द्वन्द्व से की है, जिसमें शत्रु के निश्चित आत्मसमर्पण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हिंसा का व्यापक प्रयोग एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। वह सुझाव देता है कि शत्रु पक्ष द्वारा सभी सम्भव शत्रुता पूर्ण प्रतिकार की सम्भावनाओं को दूर करने के लिए शत्रु को निःशस्त्र और पराजित करना सदैव युद्ध का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार शत्रु को अपनी इच्छानुसार निश्चित आत्मसमर्पण के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन युद्ध और इसके लिए शत्रु को निःशस्त्र करना तात्कालिक लक्ष्य हो जाता है। जिसको शत्रु का रक्त बहाकर पूरा किया जाता है।

क्लाजविट्ज ने इस तथ्य पर बल दिया है कि युद्ध करना अपने परिष्कृत रूप में नीति है, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह वह नीति है जो युद्ध लड़ती है टिप्पणी नहीं लिखती। **राजनीतिक लक्ष्य और युद्ध का लक्ष्य अपनी इच्छा थोपना, राज्य की सैन्य शक्ति द्वारा पूरा किया जाता है।** इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया राज्य की संवैधानिक नीति बन जाती है।

इस प्रकार युद्ध अपने आप में कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। हम जब और जैसा चाहते हैं, **वैसे और वैसा** युद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में युद्ध, लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। युद्ध के इस आयाम की व्याख्या करते हुए **क्लाजविट्ज** लिखता है कि, वास्तव में युद्ध रक्षा के लिए लड़ा जाता है विरोध के लिए नहीं। आक्रमण का प्रतिरोध करने की नीति के कारण युद्ध शुरू होता है। जैसा कि नेपोलियन कहा करता था कि "विजेता सदैव शक्ति का प्रेमी होता है।" अनुभव और दार्शनिकता के मिश्रित विचार का प्रतिपादन करते हुए क्लाजविट्ज ने अपनी पुस्तक "On War" में युद्ध को Absolute War और "Perfect War" पूर्ण युद्ध को आदर्श युद्ध के रूप स्पष्ट करता है। युद्ध की प्रकृति का निर्धारण युद्ध के लक्ष्य द्वारा होता है इस प्रकार युद्ध

Scanned by CamScanner

सापेक्षिक रूप में ही देखा जा सकता है, एक स्वतंत्र या अलग आयाम के रूप में नहीं। इस प्रकार महान और शक्तिशाली नीति के फलस्वरूप युद्ध 'पूर्ण युद्ध' का रूप ग्रहण कर लेता है। "Absolute" या वास्तविक युद्ध की व्याख्या में क्लाजविट्ज लिखता है कि युद्ध में शत्रु के पूर्ण विनाश के अलावा कोई दूसरी वास्तविकता नहीं हो सकती है, इसके साथ ही क्लाजविट्ज उन सिद्धान्तों की विवेचना करता है, जो कि युद्ध की योजना को निर्धारित करते हैं, वे निम्नवत् हैं—

1. शत्रु की सशस्त्र सेनाओं के विनाश एवं विजय हेतु।
2. शत्रु सेना के आक्रमण के साधनों पर अधिकार करने के लिए।
3. जन समर्थन प्राप्त करने के लिए।

क्लाजविट्ज के समसामयिक सैन्य चिन्तक **एन्टोनी हेनरी जोमिनी** ने भी युद्ध की अवधारणा और राज्य कार्य सम्बन्धी आयाम पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। वह **बुलो** पर युद्ध कला के वैज्ञानिक पक्षों पर अत्यधिक बल देने का आरोप लगाता है, जबकि वह स्वयं अपने सिद्धान्त में वैज्ञानिक तर्कों का सहारा लेता है, इसके साथ ही क्लाजविट्ज पर भी आरोप लगता है कि उसने सैन्य विज्ञान या युद्ध के वैज्ञानिक अध्ययन को असंभव बताया है। वह इस तथ्य से सहमत है कि युद्ध पृथ्वी पर मानव के क्रिया कलापों का एक प्रकार है, जिसका निश्चित अभिप्राय होता है। जोमिनी **मार्शल डी सेक्स** की इस अवधारणा से भी सहमत नहीं है, कि युद्ध एक अन्धकारपूर्ण विज्ञान है, जिसके बीच में कोई यह नहीं कह सकता है कि उसका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि सभी विज्ञानों के कुछ निश्चित सिद्धान्त होते हैं, जबकि युद्ध का कोई सिद्धान्त नहीं होता है। जोमिनी का ऐसा मानना है, कि मानव मस्तिष्क इस योग्य होता है कि वह कछ ऐसे निश्चित तरीकों एवं सिद्धान्तों को विकसित कर सकता है, जिनके प्रयोग से युद्ध में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसके अनुसार युद्ध के कुछ ऐसे सर्वकालिक मौलिक सिद्धान्त हैं, जो आयुधों के प्रकार से पूर्णतः स्वतंत्र हैं, जिन पर ऐतिहासिक काल में युद्ध कला में अच्छा परिणाम निर्भर करता था। जोमिनी लिखता है कि युद्ध एक रक्त रंजित तथा उत्तेजनात्मक नाटक है, न कि कोई गणितीय संक्रिया। उसने युद्ध को सभ्यता का एक अभिन्न अंग बताया है और कहा है कि युद्ध का विकास स्त्रातेजी, आयुधों और सामरिकी के बुनियादी विकास के अनुरूप ही होता है, जो कि मानव की प्रगति का प्रतीक होता है।

Scanned by CamScanner